उद्यान अनुसंधान केंद्र,पत्थरचट्टा

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,पंतनगर

अल्पकालिक निविदा के माध्यम से केंद्र के आम एवं लीची के बागों की बिक्री के सम्बन्ध में

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर वर्ष–2020 की बिक्री हेतु बागों की नीलामी फल लगने के आधार पर अल्पकालिक निविदा के माध्यम से की जायेगी। अल्पकालिक निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 05.05..2020 से 10.05.2020 तक उद्यान अनुसंधान पत्थरचट्टा से प्राप्त किये जा सकते हैं। अल्पकालिक निविदा प्रपत्र (निविदा फीस एवं सुरक्षा धनराशि सहित) दिनांक 11.05.2020 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा के कार्यालय मे रखे निविदा बाक्स मे डाली जायेगी तथा दिनांक 11.05.2020 को ही पूर्वाह्न 11:30 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी।

<u>बागों का विवरणः–</u>

विभाग का नाम	लाट सं0.	बागों का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा	लाट सं0–1	आम : 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	27 एकड़
	लाट सं0–2	लीची : 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18 एवं 23 नम्बर	44 एकड़

<u>नीलामी की शर्तेः</u>

1. बागों के ठेके की अवधि 31.08.2020 तक होगी।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली–भॅाति निरीक्षण कर ले। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा किया गया रू0 25,000/– के बैंक ड्राफ्ट/नगद धनराशि को छोड़कर अन्य निविदादाता द्वारा जमा किया गया बैंक ड्राफ्ट/नगद धनराशि निविदा समाप्ति के एक सप्ताह पश्चात् लौटा दिया जायेगा, परन्तु रू0 2240/– (रूपये दो हजार दो सौ चालीस मात्र) की निविदा फीस **(Tander Fees)** वापस नहीं की जायेगी।
4. सफल निविदादाता को निविदा समाप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालय में अपनी पार्टी/वेन्डर का अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
5. सफल निविदादाता को निविदा की समस्त धनराशि अपने खाते के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी। किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
6. सफल निविदादाता को उच्चतम निविदा धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) अग्रिम के रूप में निविदा समाप्ति के पश्चात् जमा करना होगा। इस धनराशि में पहले जमा किया गया रू0 25,000/– के बैंक ड्राफ्ट/नगद धनराशि को समायोजित नहीं किया जायेगा यदि सफल निविदादाता 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा पहले जमा किया गया रू0 25,000/– के बैंक ड्राफ्ट/नगद धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
7. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।
8. कुलपति महोदय द्वारा अल्पकालीन निविदा स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक / विशेष परिस्थिति में उनके व्हाटसअप नम्बर पर दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व उच्चतम निविदा धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी। शेष 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पूर्व जमा करनी होगी। इसमे पहले जमा किया रू0 25,000/– का बैंक ड्राफ्ट/ नगद धनराशि समायोजित कर लिया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा पत्र प्रेषण की दिनांक से 15 दिन में कब्जा नहीं लिया जाता है तो वह अगले 15 दिन तक 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क के साथ बाग का कब्जा ले सकता है। इसके बाद ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा और जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

   सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त ठेकेदार को बाग का कब्जा लेने के समय ठेके की उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति/सुरक्षा धनराशि के रूप में अलग से जमा करनी होगी। यह राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में <u>*नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर*</u> के नाम जमा करना होगा। जो केवल <u>*भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक अथवा यूनियन बैंक, पन्तनगर*</u> में देय हो तभी बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किया जायेगा। इस बैंक ड्राफ्ट को ठेके की समाप्ति के बाद नियमानुसार ठेकेदार को लौटा दिया जायेगा। यदि निर्धारित दिनॉक तक प्रतिभूति राशि/सुरक्षा धनराशि ठेकेदार द्वारा जमा नहीं की जाती है, तो उस स्थिति में ठेकेदार द्वारा 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

9. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को बाग बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद आदि को सुलझाने के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. फलों को केंद्र से बाहर ले जाने के लिए ठेकेदार को केंद्र से गेट पास प्राप्त करना होगा।

12. ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस, ग्राम प्रधान, विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड के साथ बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र के कार्यालय में जमा करना होगा।
13. शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के बिक्रय पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को देनी होगी।

क्र0 सं0	फल बाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के बिक्रय पटल से बिक्री हेतु दिये जाने वाले फलों की मात्रा	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
1.	आम	सं0 – 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी(6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	1100 कि0ग्रा0	100 फल
2.	लीची	सं0 – 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18 एवं 23 नम्बर	1500 कि0ग्रा0	500

14. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू0 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनॉक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
15. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी/वैज्ञानिक की उपस्थिति मे की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके ठेकेदार को अवगत् करा दिया जायेगा। अगर ठेकेदार अनुसंधान वाले पेड़ो की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या सम्बन्धित वैज्ञानिक की अनुपस्थिति में करता है तो ठेकेदार से उचित जुर्माना लिया जा सकता है। ठेकेदार से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए फल परियोजना समन्यवक/वैज्ञानिक/परियोजनाधिकारी की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।
16. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केन्द्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केन्द्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
17. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अर्न्तगत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता होने पर ठेकेदार द्वारा स्वंय सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी।
18. ठेकेदार को बाग की सफाई, फसल सुरक्षा, रोग, कीड़ो से बचाव तथा फलों की तुडाई, ढुलाई आदि कार्य स्वयं करने होगे। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक, कीट नाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
19. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तो का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तो का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्व आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(ए0के0सिंह)
संयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र,
पत्थररचट्टा

प्रतिलिपि :–

1. बिक्री सहायक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा।
2. लेखाकार, उद्यान अनुसंधान केंद्र

कार्यालय संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,पंतनगर

अल्पकालिक निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र सं0

निविदा फीस रू0–2000/– प्रति. 12 **%** जी0एस0टी0 अतिरिक्त (कुल रू0–2240.00)

अल्पकालिक निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि व समय	दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 10.05.2020 तक प्रातः 10:00 बजे अपराह्न 4:00 बजे तक (किसी भी कार्य दिवस में) तथा दिनांक 11.05.2020 को प्रातः 10:30 बजे तक
अल्पकालिक निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	दिनांक 11.05.2020 तक प्रातः 11:00 बजे तक।
अल्पकालिक निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 11.05.2020 तक प्रातः 11:30 बजे
अल्पकालिक निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा

उद्यान अनुसंधान केंद्र पत्थरचट्टा में बिक्री हेतु उपलब्ध बागों का विवरण निम्नवत हैं।

लाट सं0	बाग का विवरण	क्षेत्रफल	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर अंको में	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर शब्दों में
लाट सं0–1	आम : 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	27 एकड़		
लाट सं0–2	लीची : 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18 एवं 23 नम्बर	44 एकड़		

नोटः – निविदादाता एक ही निविदा प्रपत्र पर एक अथवा समस्त लाटों के लिये प्रत्येक लाट के सामने मूल्य अंकित कर सकता है। प्रत्येक लाट की नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त यदि एक निविदादाता को एक से अधिक लाट आवंटित होते हैं तो उक्त को प्रत्येक लाट की धरोहर धनराशि रू0 25,000/– जमा करनी होगी।

मैंने निविदा शर्तों का भलीभांति अध्ययन कर लिया है तथा प्रक्षेत्र पर जाकर बागों का निरीक्षण कर लिया है मुझे सभी शर्तें मान्य हैं। धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) निविदा फीस **(Tander Fee)** रू0 2240/– का ड्राफ्ट/नगद धनराशि .... दिनांक .... एवं रू0 25,000/– की सुरक्षा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/नगद धनराशि .... दिनांक .... जो कि ....की पंतनगर शाखा में देय है। इस प्रपत्र के साथ संलग्न हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर :

निविदादाता का नाम .... निविदादाता के पिता का नाम ....

ग्राम .... पोस्ट .... थाना .... तहसील ....

जनपद .... फोन नः– ....

पेंन सं0 (आयकर सम्बन्धी) .... बैंक का नाम एवं खाता सं0 ....

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर